संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1)/69

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 18 सितम्बर, 2017

विषय : सामान की पूर्ति/मशीनों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए गैर-सरकारी फर्मो को अग्रिम भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15/1(1)/69, दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10 जून, 2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रशासकीय विभागों द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की जा रही है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(1) में दी गयी व्यवस्था क्या सेवाओं को प्राप्त किये जाने (प्रोक्योरमेण्ट ऑफ सर्विसेज) हेतु लिये जाने वाले अग्रिम के सम्बन्ध में भी लागू है। इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 10-6-2011 के प्रस्तर-3(1) में सामान की पूर्ति/मशीनों की मरम्मत तथा रख-रखाव हेतु अग्रिम के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था समस्त प्रकार की सेवाओं (प्रोक्योरमेण्ट ऑफ सर्विसेज) के लिये दिये जाने वाले अग्रिम पर भी लागू होगी।

3- शासनादेश दिनांक 10-6-2011 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और शासनादेश की अन्य सभी शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे।

भवदीय,
मुकेश मित्तल,
सचिव।

.............2

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-12/2017/ए-1-873(1)/दस-2017-15/1(1)/69, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

(7) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(8) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(9) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।